न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2019/00090

दौलत राम आयु 42 वर्ष आत्मज श्री रामकिशन जाति धाकड निवासी ग्राम सीतापुरा तहसील तालेडा जिला बून्दी ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. गिरीश कुमार आयु 36 वर्ष आत्मज श्री रामकिशन जाति धाकड निवासी ग्राम सीतापुरा तहसील तालेडा जिला बून्दी ।
2. रामकिशन आत्मज नन्दा जाति धाकड निवासी ग्राम सीतापुरा तहसील तालेडा जिला बून्दी ।
3. राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार साहब तालेडा जिला बून्दी ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :— 1. श्री कैलाश गुप्ता, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री लीलाधर सिंह, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 23.10.2020

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तालेडा जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07.09.2018 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी रेस्पोडेन्ट क्रम 01 ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत धारा 88, 89, 92ए एवं 188 का प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम सीतापुरा तहसील तालेडा जिला बून्दी में कुल 04 किता की रकबा 06 बीघा 15 बिस्वा भूमि स्थित है । इसी प्रकार खसरा नम्बर 1162/768 रकबा 20 बीघा 02 बिस्वा भूमि स्थित है । उक्त भूमि वादी की खातेदारी में दर्ज है तथा आराजी खसरा नम्बर 768/883 रकबा 0.18 हैक्टर तथा खसरा नम्बर 786 रकबा 24 बीघा 15 बिस्वा भूमि स्थित है जो वादी के भाई दौलतराम वल्द रामकिशन के खातेदारी में दर्ज है । चरण संख्या 1 व 2 में वर्णित आराजी वादी की पैतृक तथा पुश्तैनी कृषि भूमियॉ हैं जो पूर्व में प्रतिवादी क्रम 01 की खातेदारी में दर्ज थी । प्रतिवादी क्रम 01 ने वादग्रस्त आराजी का वादी एवं उसके भाई दौलत राम के मध्य बंटवारा कर दिया जिसमें आराजी खसरा नम्बर 768/883 रकबा 18 बिस्वा तथा खसरा नम्बर 786 रकबा 24 बीघा 15 बिस्वा भूमि दौलतराम के हिस्से में आई जो उनके खातेदारी में दर्ज है । चरण संख्या 01 में दर्ज वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में पूर्व में वादी ने

बंटवारा तथा अधिकार घोषणा का वाद प्रतिवादी संख्या 01 तथ उसके भाई दौलतराम के विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी तालेडा के न्यायालय में पेश किया था जिसमें दौलतराम ने जवाबदावा प्रस्तुत कर निवेदन किया था कि उक्त भूमि में दौलतराम का कोई हक व अधिकार नहीं है क्योंकि दौलतराम को बंटवारा में वादपत्र की चरण संख्या 02 में वर्णित भूमि प्राप्त हुई है । वादपत्र की चरण संख्या 06 में वर्णित भूमि पर प्रतिवादी कम 01 का नाम दर्ज होने के कारण उक्त भूमि पर वादी का हक व अधिकार मानने से इंकार कर दिया तथा अन्यत्र रहन, बेचान करने पर आमादा हैं जिसका उन्हें कोई अधिकार प्राप्त नहीं है । वादी को अधिकार प्राप्त है कि चरण संख्या 06 में वर्णित भूमि के बाबत् हक घोषणा की डिक्री पारित करावे ।

3. अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि ग्राम सीतापुरा तहसील तालेडा जिला बून्दी में स्थिति कुल 04 किता की रकबा 06 बीघा 15 बिस्वा पर वादी को खातेदार घोषित किया जावे एवं राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे ।

4. पक्षकारान ने दिनांक 30.08.2018 को अधीनस्थ न्यायालय में लिखित राजीनामा पेश किया और राजीनामा अनुसार वाद डिक्री करने का कथन किया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय दिनांक 07.09.2018 के द्वारा वाद वादी राजीनामे के आधार पर डिक्री कर दिया ।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07.09.2018 से व्यथित होकर अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील पेश कर कथन किया कि प्रस्तुत प्रकरण में रेस्पोडेन्ट वादी ने वादपत्र की चरण संख्या 03 में वादग्रस्त आराजी को पैतृक एवं पुश्तैनी भूमि होना प्रकट किया है । ऐसी स्थिति में अपीलान्ट का भी रामकिशन जी का पुत्र होने से जन्म से ही अधिकार प्राप्त है । अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं बनाया गया है जबकि वह प्रस्तुत प्रकरण में आवश्यक पक्षकार है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट की अनुपस्थिति में निर्णय पारित किया है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07.09.2018 निरस्त फरमाया जावे ।

7. अपीलान्ट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी का पेश कर कथन किया कि वादी रेस्पोडेन्ट ने चरण संख्या 01 में वर्णित वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में खातेदार अधिकार घोषणा का वाद अपीलान्ट को पक्षकार बनाये बिना प्रतिवादी रामकिशन से मिलीभगत करके राजीनामे के द्वारा डिक्री करवा लिया जबकि अपीलान्ट भी वादी रेस्पोडेन्ट की भांति रेस्पोडेन्ट रामकिशन का पुत्र है । वादग्रस्त आराजी में अपीलान्ट का हित–निहित है । अपीलान्ट प्रस्तुत प्रकरण में हितबद्ध पक्षकार है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपीलान्ट को न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जावे ।

8. हमने उक्त प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने वादग्रस्त आराजी में अपना हित–निहित होने का कथन किया है तथा स्वयं को हितबद्ध पक्षकार होना बताया है । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी स्वीकार किया जाकर अपीलान्ट को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

9. अपीलान्ट ने अपील के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का पेश कर कथन किया कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं बनाया था इसलिए उन्हें अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की जानकारी नहीं थी । दिनांक 18.01.2019 को अपीलान्ट फसल ऋण प्राप्त करने के लिए जमाबन्दी की नकल प्राप्त की तो जानकारी प्राप्त हुई जिस पर उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

10. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

11. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और निवेदन किया कि वादी रेस्पोडेन्ट क्रम 01 ने अधीनस्थ न्यायालय में हक घोषणा का वाद पेश किया जिसमें प्रतिवादी ने इकबालिया जवाबदावा पेश कर राजीनामा पेश किया जिसमें वादी को खातेदार घोषित किया गया । वादी रेस्पोडेन्ट ने वादपत्र की चरण संख्या 03 में वादग्रस्त आराजी को पैतृक एवं पुश्तैनी कृषि भूमि होना प्रकट किया है । ऐसी स्थिति में अपीलान्ट जो कि रामकिशन का पुत्र है उसके वादग्रस्त आराजी में अधिकार निहित हैं । अपीलान्ट को पक्षकार बनाये बिना निर्णय पारित किया गया है त्रुटिपूर्ण है बिना किसी विधिक दस्तावेज के वादी के खाते में आराजी दर्ज नहीं की जा सकती । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07.09.2018 निरस्त फरमाया जावे ।

12. रेस्पोडेन्ट ने न्यायालय हाजा में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी पेश कर प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात को रिकॉर्ड पर लिये जाने का कथन किया ।

13. हमने रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया एवं प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया । उक्त दस्तावेजात में उपखण्ड अधिकारी, तालेडा की आदेशिका दावा संख्या 1/116 की प्रमाणित प्रति, उपखण्ड अधिकारी तालेडा के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.05.2017 की प्रमाणित प्रति, उपखण्ड अधिकारी तालेडा में प्रस्तुत हक घोषणा एवं विभाजन के दावे की प्रमाणित प्रति, इसमें पेश किये गये जवाबदावा और राजीनामा की प्रमाणित प्रति, नकल जमाबन्दी संवत् 2072–75 नया खाता संख्या 333 की प्रमाणित प्रति, नकल जमाबन्दी संवत् 2072–75 नया खाता संख्या 146 की प्रमाणित प्रति पेश की हैं । पेश किये गये दस्तावेजात राजस्व रिकॉर्ड की प्रमाणित प्रतियॉ है और प्रकरण से सम्बन्धित है जिनकी विश्वसनीयता पर संदेह नहीं किया जा सकता । अतः न्यायहित में रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 47 सीपीसी स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात को रिकॉर्ड पर लिये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

14. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि पूर्व में एक दावा गिरीश कुमार ने उपखण्ड अधिकारी तालेडा के समक्ष पेश किया जिसमें पक्षकारों के मध्य राजीनामा हुआ था और इस राजीनामे के हिसाब से रामकिशन जो कि पक्षकारान के पिता है उनके खाते में दर्ज आराजी का विभाजन किया गया था और बंटवारे की डिक्री के अनुसार गिरीश कुमार

के खाते में 20 बीघा 02 बिस्वा आराजी दर्ज की गई थी । रामकिशन के खाते में कुल 04 किता की 06 बीघा 15 बिस्वा आराजी दर्ज की गई थी और दौलतराम अपीलान्ट के खाते में कुल 02 किता की 25 बीघा 13 बिस्वा आराजी दर्ज की गई थी । राजीनामे के आधार पर दावा डिक्री किया गया था । दौलत राम को आराजी अन्य खाते की दी जा चुकी है । इस आराजी में उनका कोई अधिकार निहित नहीं है । दौलतराम ने स्वयं उस राजीनामे में यह तथ्य स्वीकार किया था । वादी के द्वारा जो दावा पेश किया गया है उसमें प्रतिवादी ने इकबालिया जवाब पेश किया है । पक्षकारों के मय राजीनामा हुआ है । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07.09.2018 बहाल रखा जावे ।

15. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण बताऐ हैं वे उचित प्रतीत होते हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

16. अधीनस्थ न्यायालय में वादी गिरीश कुमार के द्वारा यह दावा पेश किया गया है कि प्रतिवादी के खाते में 04 किता की 06 बीघा 15 बिस्वा आराजी दर्ज है । उसके प्रतिवादी केवल दृश्यमान स्वामी हैं । वास्तविकता में यह आराजी वादी को प्राप्त हुई है । अतः इस आराजी का वादी को खातेदार कृषक घोषित किया जावे ।

17. पत्रावली पर संलग्न नकल जमाबन्दी के अनुसार वादग्रस्त आराजी कुल 04 किता की रकबा 06 बीघा 15 बिस्वा प्रतिवादी रामकिशन के तन्हा खाते में दर्ज है । इस आराजी को बिना किसी विधिक दस्तावेज यथा दानपत्र, विक्रय पत्र के वादी के खाते में राजीनामे के आधार पर दर्ज नहीं की जा सकती । पक्षकारों ने जो राजीनामा पेश किया है वो विधिक नहीं है और इस राजीनामे को परीक्षण न्यायालय के द्वारा तस्दीक भी नहीं किया गया है । ऐसा राजीनामा जो विधिक प्रावधानों के विपरीत हो उसके आधार पर निर्णय पारित करने में परीक्षण न्यायालय ने त्रुटि की है । यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि वादी ने स्वयं अपने वादपत्र की चरण संख्या 3 में इस आराजी को पैतृक बताया है । यदि आराजी पैतृक है तो अपीलान्ट इसमें आवश्यक पक्षकार है जिनको पक्षकार नहीं बनाया गया है । इन समस्त तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण है एवं खारिज होने योग्य है ।

18. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07.09.2018 निरस्त किया जाता है ।

19. निर्णय आज दिनांक 23.10.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

23.10.2020

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

Judl/Govt.
Parrt 1V - B

अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 2019/00090

दौलत राम आयु 42 वर्ष आत्मज श्री रामकिशन जाति धाकड निवासी ग्राम सीतापुरा तहसील तालेडा जिला बून्दी ।

——अपीलार्थी

बनाम

1. गिरीश कुमार आयु 36 वर्ष आत्मज श्री रामकिशन जाति धाकड निवासी ग्राम सीतापुरा तहसील तालेडा जिला बून्दी ।
2. रामकिशन आत्मज नन्दा जाति धाकड निवासी ग्राम सीतापुरा तहसील तालेडा जिला बून्दी ।
3. राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार साहब तालेडा जिला बून्दी ।

——प्रत्यर्थी

बनाराजगी आदेश निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07.09.2018 अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तालेडा जिला बून्दी ।

वाद संख्याः 45/दावा/2018

गिरीश कुमार आयु 36 वर्ष आत्मज श्री रामकिशन जाति धाकड निवासी ग्राम सीतापुरा तहसील तालेडा जिला बून्दी ।

——वादी

बनाम

1. रामकिशन आत्मज नन्दा जाति धाकड निवासी ग्राम सीतापुरा तहसील तालेडा जिला बून्दी ।
2. राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार साहब तालेडा जिला बून्दी ।

——प्रतिवादी

अपील का ज्ञापन

1. **उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तालेडा जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07.09.2018 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात...** कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

2. यह अपील तारीख 23.10.2020 को बहाजरी अपीलान्ट की ओर से अभिभाषक श्री कैलाश गुप्ता एवं रेस्पोडेन्ट की ओर से अभिभाषक श्री लीलाधर सिंह के उपस्थित आने पर यह आदेश दिया कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07.09.2018 निरस्त किया जाता है ।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है ।

यह डिक्री आज तारीख 23.10.2020 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

23.10.2020

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा